रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 983] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2006/भाद्र 11, 1928

No. 983] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2006/BHADRA 11, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2006

का.आ. 1398(अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र की बाबत 2 सितम्बर, 2006 को 14.00 बजे से 1 दिसम्बर, 2006 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए अधिस्थगन आदेश करती है और एतदद्वारा अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कंपनी के विरुद्ध सभी कार्रवाईयों और कार्यवाहियों को प्रारंभ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिस्थगन की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह भी निदेश देती है कि द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा,

महाराष्ट्र (उक्त बैंकिंग कंपनी) को मंजूर की गई अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना -

(क) यहां नीचे उपबंधित सीमा एवं तरीके के सिवाए अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाय कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा:

(i) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कुल अतिशेष के 10,000/- रुपए से अनधिक राशि, परन्तु यह तब, जब कि ऐसे कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता को जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी;

(ii) कोई ऐसा व्यय, जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्री के संबंध में या उसे देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाता है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 10,000/- रुपए से अधिक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी;

(iii) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय, जहां तक वह बैंककारी कंपनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कंपनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी कैलेंडर मास में किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्दे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां विगत में उस मद के मद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है तो रकम 10,000/- रुपए से अधिक होने पर भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा ऐसा कोई/अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी;

(iv) उक्त बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की रकमों की अदायगी और जो उस तारीख को, जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती है; और

(v) 2 सितम्बर, 2006 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व उस तारीख में या उसके पश्चात वसूल किए गए बिलों की रकम।

(ख) अपनी स्थावर संपत्ति का विक्रय, अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3. उक्त बैंकिंग कंपनी के किसी जमाकर्ता को भुगतान के संबंध में इस आदेश के पैरा 2(क) में निर्धारित शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारतीय रिजर्व बैंक एक सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा बैंकिंग कंपनी को अपने जमाकर्ता को आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए 10,000/- रुपए (उक्त पैरा 2(क) में यथा निर्धारित) से अधिक की राशि को अपने आदेश में यथा निर्धारित सीमा तक भुगतान करने की इजाजत दे सकता है।

(क) जमाकर्ता अथवा वास्तव में उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के संबंध में;

(ख) भारत अथवा भारत से बाहर शिक्षा के लिए जमाकर्ता अथवा वास्तव में उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा लागत के प्रति;

(ग) जमाकर्ता या उसके बच्चों या उस पर वास्तविक रुप में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह या अन्य समारोहों के संबंध में अनिवार्य खर्चों का भुगतान करना;

(घ) किसी अन्य अपरिहार्य आकस्मिकता के संबंध में;

परन्तु यह कि जमाकर्ता के नाम जमा शेष राशि में से भुगतान के लिए इस प्रकार अनुमत राशि:

(क) की गणना बैंकिंग कंपनी के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की जाने वाली पुनर्गठन या समामेलन की किसी योजना के अंतर्गत उसे देय भुगतान के संबंध में की जाएगी और योजना के लागू होने से पूर्व या लागू होने के समय बैंकिंग कंपनी के किसी जमाकर्ता को किए गए किसी भुगतान के विनियोजन के बारे में ऐसी योजना के अंतर्गत यथा उपबंधित शर्तों के अध्यधीन होगी; और

(ख) 1,00,000/- रुपए की राशि या ऐसे जमाकर्ता के खाते में जमा राशि वास्तविक शेष राशि जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

4. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश भी देती है कि द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र, उसे मंजूर की गई अधिस्थगन की अवधि के दौरान निम्नलिखित और भुगतान अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी अनुषंगी बैंक या किसी अन्य बैंक द्वारा द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के बदले मंजूर किए गए ऋणों और अग्रिमों की वापसी अदायगी के लिए, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख को अदत्त हों, रकमों का भुगतान करें।

5. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस आदेश के खण्ड 2(क)(i) के अधीन प्रति जमाकर्ता 10,000/- रुपए का भुगतान करने की अनुमति दी जाए, उक्त बैंकिंग कंपनी ऐसा भुगतान केवल अपने कारबार के स्थान पर काउंटर पर ही करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि एटीएम सहित कोई भी प्रणाली तत्काल बंद कर दी जाएगी उक्त बैंकिंग कंपनी इस आशय का समुचित प्रचार करेगी कि जमाकर्ता उक्त खण्ड 2(क)(i) में अनुज्ञात सीमा तक केवल उसके कारबार के स्थान पर काउंटर पर ही रकम आहरित कर सकेगा।

6. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की अवधि के दौरान द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र को पूर्वोक्त भुगतान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक के साथ अपने खातों को परिचालित करने की अनुमति होगी, बशर्ते इस आदेश में ऐसा अपेक्षित नहीं होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक या पूर्वोक्त कोई बैंक द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र के पक्ष में कोई राशि जारी करने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट करें कि इस आदेश के द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया जा रहा है।

7. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र अधिस्थगन की अवधि के दौरान ऐसे बिलों को वापस कर सकता है, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में किए जा रहे अनुरोध के संबंध में उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुए हैं यदि ऐसे बिलों में इसे कोई अधिकार या स्वत्वाधिकार या लाभ न हो।

8. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवरड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है, आडमानित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है :

(I) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति, उधार वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मुद्दे पूर्ण संदाय उसके द्वारा बिना शर्त प्राप्त कर लिया गया है; और

(II) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों, जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, से नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[फा. सं. 15/7/2006 (बीओ ए)]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2006

S.O. 1398(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under Sub-section (1) of that Section hereby makes an Order of Moratorium in respect of The United Western Bank Ltd, Satara, Maharashtra for the period from 14.00 hrs on September 2, 2006 up to and inclusive of December 1, 2006 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of Sub-section (4) of Section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under Section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, The United Western Bank Ltd, Satara, Maharashtra (the said banking company) shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India -

(a) grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any amount, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any comprornise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

(i) Payment of a sum not exceeding Rs.10000/- of the total balance in every savings bank or current account or any other deposit account by whatever name called, provided that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the banking company in any way;

(ii) Incurring expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said banking company or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs.10000/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred;

(iii) Incurring expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the said banking company necessary for carrying on its day-to-day administration, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the Order of Moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs.10000/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before any such / additional expenditure is incurred;

(iv) Payment of the amounts of any drafts or pay orders issued by the said banking company and remaining unpaid on the date on which the Order of Moratorium comes into force; and

(v) The amounts of the bills received for collection on or before September 2, 2006 and realised before, on or after that date.

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties.

3. Without prejudice to the conditions stipulated in Para 2(a) of this order in relation to payment to any depositor of the said banking company, the Reserve Bank may by a general or special order permit the said banking company to allow payment to its depositor an amount in excess of Rs.10000/- [as stipulated in said Para 2(a)], to the extent as stipulated in its order to meet unforeseen expenses,

a) in connection with the medical treatment of the depositor or any person actually dependent on him;

b) towards the cost of higher education of the depositor or any person actually dependent on him for education in India or outside India;

c) to pay obligatory expenses in connection with marriage or other ceremonies of the depositor or his children or of any other person actually dependent upon him;

d) in connection with any other unavoidable emergency;

Provided that the amount so allowed to be paid out of the balance lying to the credit of the depositor

(a) shall be reckoned towards the payment due to him under any Scheme of Reconstruction or Amalgamation as may be sanctioned by any competent authority in relation to the said banking company and subject to such conditions as may be provided under such Scheme about appropriation of any payment made to a depositor of the said banking company before or on the coming into force of the Scheme; and

(b) shall not exceed the sum of Rs.1,00,000/- or the actual balance lying to the credit of the account of such depositor, which is less.

4. The Central Government hereby also directs that The United Western Bank Ltd, may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to The United Western Bank Ltd, by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the Order of Moratorium comes into force.

5. The Central Government further directs that in order to ensure that payment of Rs.10000/- per depositor permitted to be made under clause 2(a)(i) of this Order, the said banking company shall make such payment only over the counter at its place of business, and shall further ensure that any system including ATM shall be forthwith disabled. The said banking company shall give due publicity to the effect that the depositor may withdraw the amount to the extent permitted of said clause 2(a)(i) over the counter at its place of business only.

6. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium The United Western Bank Ltd, Satara, Maharashtra shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid, provided that nothing in this Order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this Order are being observed before any amounts are released in favour of the The United Western Bank Ltd, Satara, Maharashtra.

7. The Central Government hereby further directs The United Western Bank Ltd, Satara, Maharashtra may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if it has no right or title to, or interest in, such bills.

8. The Central Government hereby also directs that The United Western Bank Ltd, Satara, Maharashtra may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft:

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by it, unconditionally, and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the Order of Moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 15/7/2006 (BOA)]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.